202

संख्या– 6097 / II–2012–04(28) / 03, टी0सी0

प्रेषक,

विजय कुमार ढ़ौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2012

विषयः **नाबार्ड की RIDF-XI, XIII, XIV, XV एवं XVI के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप, नहर, लिफ्ट योजनाओं हेतु वर्ष 2011–12 में धनावंटन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–925 / मुअवि / बजट / बी–1, सामान्य, दिनांक 15.03.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की क्रमशः RIDF-XI, XIII, XIV, XV एवं XVI ट्रैन्च में निर्माणाधीन नलकूप / नहर निर्माण / लिफ्ट योजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा अपने पत्रांक–एन0बी0यू0के0(डी0डी0एन0) / एफ0ए0डी0(एल0ओ0एस)–15 / 2011–2012 दिनांक 25.01.2012 के द्वारा अनुलंग्नक–ए (Annexurre-A) में उल्लिखित परियोजनावार प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि ₹ 2081.57 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0–4822 / II–2012–04(28) / 03, टी0सी0, दि0–06.03.2012 के द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि ₹ 1279.297 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि **संलग्न–बी0एम0–15** के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 802.273 लाख की स्वीकृति सहित **संलग्नक–1** में वर्णित अनुदान / लेखाशीर्षकों के अनुसार ₹ 802.273 लाख (₹ आठ करोड़ दो लाख सत्ताईस हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।
2. उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय।
3. निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
4. आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक / ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।
6. धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा ।

क्रमशः.....2

8. कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
9. विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो ।
10. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–17 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. नाबार्ड के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 25.01.2012 तथा उसके साथ संलग्न अनुलंग्नक 'ए' एवं 'बी' की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय में **संलग्नक–1** में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत 24 वृहत् निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–177/XXVII(1)/12 दिनांक– 26 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या–6097 (1)/ II–2012–04(28)/03, टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्न यथोपरि।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–6097/ II–2012–04(28)/03 टी0सी0, दिनांक 28/3/12 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अनुदान संख्या–20 लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय –04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0201 नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना)–24 वृहत् निर्माण कार्य	4377.47	3800.00	577.47
2.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	4012.963	3788.16	224.803
	योग	8390.433	7588.16	802.273

(₹ आठ करोड़ दो लाख सत्ताईस हजार तीन सौ मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

प्रपत्र–बा0एम–15

अनुदान संख्या–20
आयोजनागत
वित्तीय वर्ष 2011–12

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय 01/2012 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि सहित लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
4711–बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 01–बाढ़ नियंत्रण 103–सिविल निर्माण कार्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0101–नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें 24–वृहत निर्माण कार्य					4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04–नलकूपों का निर्माण 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0201–नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना) 24–वृहत निर्माण कार्य 380000	57747(क)	437747		(क) आवश्यकता होने के कारण । (ख) आवश्यकता न होने के कारण।
	840161	102432.5	167567.5	570161(ख)	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 0202–नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य 378816	22480.3(क)	401296.3	759933.7	
	840161	102432.5	167567.5	570161	758816	80227.3	839043.3	759933.7	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नही होता है।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
यू0ओ0 सं0– 177 (ए)/XXVII(1)/2012
देहरादून: दिनांक 26 मार्च, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत

आर.सी. [illegible]
अपर सचिव, वित्त।

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 6097/ II–2012–04(28)/2003, टी0सी0 तददिनांक
प्रतिलिपि (1) समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।